



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 559]  
No. 559]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 1978/अग्रहायण 30, 1900  
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 1978/AGRAHAYANA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

## मंत्रिमंडल सचिवालय

### प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1978

का०प्रा० 720 (अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के  
खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार  
(कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्न-  
लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन)  
(एक सौ तीसरा संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय  
अनुसूची में—

(क) "शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत,  
"क—शिक्षा विभाग" उप शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 53अ,  
53ब और 53घ का जोड़ किया जाएगा ;

(ख) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत, "क—औद्योगिक विकास  
विभाग" उप शीर्षक के नीचे, 20वा प्रविष्टि के पर्याप्त  
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"20द—नार्दन इण्डिया टेक्सटाइल रिसेच एसोसिएशन, नई  
दिल्ली।";

(ग) "पेट्रोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्रालय" शीर्षक के अन्तर्गत  
"क—पेट्रोलियम विभाग" उप शीर्षक के नीचे, विद्यमान  
प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,  
अर्थात्:—

1. प्राकृतिक गैस सहित, पेट्रोलियम के साधनों के लिए  
खोज और उनका रोहत।

2. प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों सहित, पेट्रोलियम  
का उत्पादन, सप्लाई, वितरण, विणमन और मूल्य-  
निर्धारण।

3. नव परिकरणियां जिनमें स्नेहक संयंत्र शामिल हैं।

4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात।

5. स्नेह मिश्रण और ग्रीसें।

6. भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून।

7. पेट्रो-रसायन।

8. सेलूलोज रहित संप्लिष्ट फाइबर (नायलान, पोलियेस्टर,  
एक्रिलिक, आदि) के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग।

9. संप्लिष्ट रबर।

10. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों को विरचना और प्लास्टिक  
की बली हुई वस्तुएं शामिल हैं।

11. विभाग द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता ।
  12. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित सभी संलग्न या अधीनस्थ या अन्य संगठन ।
  13. उन परियोजनाओं के सिवाए, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई हैं, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अन्तर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, इंजीनियर्स इण्डिया लि० और इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, जिसमें उसके अनुषंगी भी शामिल हैं ।
  14. तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) ।
  15. तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग अधिनियम, 1959 (1959 का 43) ।
  16. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का भर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ।
  17. एस्सो (भारत में उपक्रमों का भर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का 4) ।
  18. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) ।
  19. बर्मा-गैस (भारत में उपक्रमों का भर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 2) ।
  20. कालटेक्स [कालटेक्स प्रायल रिफाइनिंग (इण्डिया) लि० फैं शेयरों का और कालटेक्स (इण्डिया) लि० के रत में उपक्रमों का भर्जन] अधिनियम, 1977 (1977 का 17) ।” ;
- (ख) “संस्कृति विभाग” शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 39इ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“39ख—राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ।” ;
- (ङ) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग” शीर्षक के अन्तर्गत, विष्टि 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“8. सर्वे भाफ इण्डिया और नेशनल एटलस एण्ड चिमेटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन ।”

नीलम संजीव रेड्डी  
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/78-सी एफ]

के० सहगल, संयुक्त सचिव

#### CABINET SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1978

S. O. 720(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Gov-

ernment of India (Allocation of Business) Rules, 1961 namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and thirtieth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule :—

(a) under the heading “MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)”, entries 53B, 53C and 53D shall be omitted ;

(b) under the heading “MINISTRY OF INDUSTRY UDYOG MANTRALAYA”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)”, after entry 20J, the following entry shall be inserted, namely :—

“20K. Northern India Textile Research Association, New Delhi.”;

(c) under the heading “MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)”, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“1. Exploration for and exploitation of petroleum resources, including natural gas.

2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum, including natural gas and petroleum products.

3. Oil Refineries, including Lube Plants.

4. Additives for petroleum and petroleum products.

5. Lube blending and greases.

6. Indian Institute of Petroleum, Dehra-dun.

7. Petro-chemicals.

8. Industries relating to the production of non-cellulosic synthetic Fibres (Nylon, Polyester, Acrylic, etc.).

9. Synthetic Rubber.

10. Plastics, including fabrication of plastics and plastic moulded goods.

11. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

12. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

13. Public sector projects falling under the subjects included in this list, Engineers India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry|Department.
14. The Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948).
15. The Oil and Natural Gas Commission Act, 1959, (43 of 1959).
16. The Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).
17. The Esso (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974 (4 of 1974).
18. The Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974).
19. The Burmah-Shell (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976).
20. The Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Act, 1977 (17 of 1977).";
- (d) under the heading "DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)", after entry 39E., the following entry shall be inserted, namely :—
- "39F. National Council of Science Museums, Calcutta.";
- (e) under the heading "DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRODYOGIKI VIBHAG)", for entry 8, the following entry shall be substituted, namely :—
- "8. Survey of India and National Atlas and Thematic mapping Organisation."

N. SANJIVA REDDY, President.

[No. 74|2|1|78-CF]

K. SAIGAL, Joint Secy.

